स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

एम0 एड0 की उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशक
डॉ. अमरनाथ दत्त गिरि
विभागाध्यक्ष
शिक्षक शिक्षा संकाय

शोधकर्ता
दीपक कुमार गुप्ता
एम0 एड0 छात्र

अतर्रा पी0 जी0 कालेज, अतर्रा (बाँदा)

सत्र– 2013-14

स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

एम0एड0 की उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशक

डॉ. अमरनाथ दत्त गिरि
विभागाध्यक्ष
शिक्षक शिक्षा संकाय

शोधकर्ता

दीपक कुमार गुप्ता
एम0एड0 छात्र

अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा (बाँदा)

सत्र– 2013–2014

आभार प्रदर्शन

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सम्पन्न करने के लिए उचित पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में सफलता संदिग्ध होती है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध सम्पन्न कराने, सरल एवं स्वर्णिम राय की ओर अग्रसर कराने के लिए शोधकर्ता सर्वप्रथम अपने शोध निर्देशक, स्नेह के प्रतिमूर्ति **डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि** का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। जिनके संरक्षण, निर्देशन एवं सहयोग के बिना लघुशोध प्रबन्ध जैसा कठिन कार्य पूर्ण करना संभव नही था।

तत्पश्चात् मैं अपने शिक्षक एवं शिक्षा संकाय कें समस्त गुरूजनों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनका आशिवर्चन सदैव मिलता रहा और उन्होने अपना बहुमूल्य समय दिया।

मैं अपने परम् पूज्य आदरणीय पिता श्री जयप्रकाश एवं माता श्रीमती उर्मिला देवी के चरणों में नतमस्तक हूँ। मेरी उच्च शिक्षा के इस सोपान में होना जिनके आशीर्वाद का प्रतिफल हैं। जिनके अभिभावकत्व में हमने अनुसंघानात्मक दृष्टि पायी।

इस अध्ययन में जाने–अनजाने अनेक विद्वान, मनीषियों एवं मित्रों का सहयोग मिला जिसके लिए शोधकर्ता उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता है।

Deepak gupta

दिनांकः– 28-04-2014 **शोधकर्ता**

दीपक कुमार गुप्ता

एम0 एड0 छात्र

शोध छात्र का प्रमाण पत्र

मै **दीपक कुमार गुप्ता** प्रमाणित करता हूँ कि एम0 एड0 उपाधि हेतु प्रस्तुत यह लघु शोध प्रबन्ध जिसका शीर्षक **''स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन''** है, मेरा मौलिक कार्य है।

इसके पूर्व इस शीर्षक में कोई अन्य शोध कार्य नही किया गया है।

Deepak gupta

शोधकर्ता

दिनांक :– 28-04-2014

स्थान :– अतर्रा

दीपक कुमार गुप्ता

एम0 एड0 छात्र

शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **दीपक कुमार गुप्ता पुत्र श्री जयप्रकाश** एम0 एड0 (2013–2014) छात्र द्वारा **''स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन''** शीर्षक से प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध इनका मौलिक कार्य है।

मै इनके मूल्यांकन की संस्तुति करता हूँ।

दिनांक :– 28-04-2014

निर्देशक

डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि

विभागाध्यक्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

भूमिका

अध्याय–प्रथम

प्रस्तावना

1.1 भूमिका :–

जब मानव धरती में जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसका यह अधिकार बनता है कि वह अपना सांसारिक जीवन संतोष, सुरक्षा और आनन्द पूर्वक बितायें समाज और सरकार उसे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधायें प्रदान करें और उसके लियें उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें जिससे मनुष्य अपना जीवन स्वतंत्रता से और सुरक्षापूर्वक जी सके। मानव को प्राप्त होने वाला यह अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवाधिकार उन अधिकारों या स्थितियों को कहतें है जो मानवोचित जीवन के लिए आवश्यक होते है। इससे तात्पर्य मनुष्य के अधिकारों से है। यह अधिकार मानव की प्रकृति में निहित है। गहराइयों में छिपी है। वैदिक युग में भी मानवाधिकारों का अस्तित्व था। वैदिक काल में ही –

" सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।

सर्वे भद्राणि पष्यन्तु मा कष्चिद्दुख भागवेत।।

जैसी भावना वर्णित की गयी है तथा शास्त्रों में "अति सर्वत्र वज्यते"का उल्लेख है। दार्शनिक प्लेटो, रूसो, लास्की तथा अन्य दार्शनिकों ने अपने कृतियों में मानवाधिकारों स्थान दिया है।

विश्व इतिहास पर नजर डाले तो यह ज्ञात होता है कि मानवाधिकारों का विकास राज्य की शक्तियों के विरूद्ध सतत् संघर्ष का प्रतिफल है और इन्ही संघर्षो की राह पर चलकर ही मानव अधिकारों की आधुनिक धारा प्रवाहित हुयी। मानवाधिकारों के संरक्षण में 15 जून 1215 को ब्रिटेन में जारी मैग्नाकार्टा (महाधिकार पत्र), पिटीशन आफ

राइट (1628) है। वियस कापर्स एक्ट (1679) बिल आफ राइट्स (1689) अमेरिका के स्वतन्त्रता की घोषणा(1776) फ्रांसीसी स्वतन्त्रता की घोषणा (1789) न्यूयार्क अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान की मानवाधिकारों और कर्तव्यों की उद्घोशणा (1929) तथा संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक उद्घोषणा (1948) जारी हुई।

पश्चिम जगत के दार्शनिकों में '**टामसपैनी**' ने अपनी पुस्तक '**मानव अधिकार**' में समाज में व्याप्त बेचैनी एवं अराजकता के कारणों का विश्लेषण किया तथा इनके उपचार के उपाय प्रस्तुत किये। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुये प्रख्यात दार्शनिक व राजनैतिक '**लास्की**' ने कहा था कि " मानवाधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बगैर सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है।" ऐसे ही राजनैतिक विचारों से बढ़ता हुआ आज मानवाधिकार वर्तमान स्वरूप में आया।

आज मानव अधिकार इतने व्यापक हो गये है कि हर व्यक्ति इनके प्रति जागरूक है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया है। समाज का विकास जैसे–जैसे आगे बढ़ता जाता है, समाज के विकास के साथ–साथ मानवाधिकार के घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। मानवाधिकार हनन की घटनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग तथा प्रशासन के प्रत्येक अंग द्वारा की जा रही है। लेकिन हनन की सर्वाधिक शिकायतें आयोग के पास पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की पहुँचती है।

आखिर पुलिस के प्रति जनता इतना प्रतिकार क्यों ? इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पुलिस के लन्दन में पुलिस कमिश्नर ' **राबर्ट मार्क** ' ने टिप्पणी की कि पुलिस समाज की प्रतिबिम्ब होती है। यदि समाज हिंसक है तो पुलिस हिंसक होगी यदि समाज भ्रष्ट है तो पुलिस भी भ्रष्ट होगी। किन्तु यदि समाज सहनशील, शिक्षित तथा सहिष्णु है तो पुलिस भी उसी तरह कार्य करेगी काफी प्रासांगिक है।

मानवाधिकार हनन की घटनाओं के लिए मात्र पुलिस ही दोषी नही है जनता व समाज बराबर कर दोषी है। निर्दोष व्यक्ति के पक्ष में आज सभ्य समाज भी खड़ा होने से कतराता है। **'डेनियल डेको'** का यह कथन है कि '' हर तरफ से समाज सभी लोंगों की आवाज है कि अपराधी को सजा दी जाए लेकिन शायद ही किसी को चिन्ता हो कि निर्दोष को सजा न मिले'' अक्षरशः सत्य है। यही कारण है की हनन काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम जितनी तेजी से विकास कर रहे है मानवीय सम्बन्धों एवं आदर्शो की डोर उतनी ही नाजुक होती जा रही है। विकास की अंधी दौड़, वर्चस्व की होड़, अस्तित्व कायम करने की महत्वाकांक्षा ने हनन की भावना को गौण कर दिया है। **'जस्टिस कृष्ण अययर'** ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि –''सभ्यता के विकास के क्रम में आज मानवाधिकारो को बहुत उँचे स्तर की मान्यता मिली हुई, परन्तु यह भी सत्य है कि ऐसे मनुष्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो अधिकरों से वंचित है। चारों ओर खून, खराबा, हिंसा, लूट–खसोट और अराजकता ने मानव की मानवता छीन ली है। मानव का अमानवीयता कई रूपों में दिन–प्रतिदिन देखने को मिलती है।''

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा एक ऐसी प्रकिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वभाविक सामंजस्य पूर्ण विकास में योग देती है। व्यक्ति की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है, उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करनें में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वोंके लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार दृश्टिकोण में ऐसा परिवर्तनकरती है जो समाज देश और विश्व के लिए हितकर होता है। अतः शिक्षा द्वारा ही समाज को मानवाधिकार के बारे में जागरूक किया जा सकता है। इसके आवश्यक है कि स्कूलों एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में मानवाधिकार को सम्मिलित कर छात्र–छात्राओं को इसके विषय में जागरूक किया जा सकता है क्योंकि छात्र–छात्राएँ ही समाज के भावी कर्णधार है।

मानवाधिकारों के सुरक्षा के सम्बन्ध में सन् 1945 के द्वितीय विश्वयुद्ध तथा अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराये गये परमाणु बम से हुई हजारों हत्याओं के बाद विश्व के देशों में एक नई सोच सामने आयी तथा **10 दिसम्बर 1948** को " **अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**" की स्थापना हुई इसी दिन मानवाधिकार आयोग की सार्वभौम घोषणा जारी की गई और इसे पूर्ण मान्यता भी प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को दी गयी सार्वभौमिक घोषणा –पत्र (चार्टर) में 30 अनुच्छेदों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के विषय को प्रतिवर्ष " **मानवाधिकार दिवस** " के रूप में मनाया जाता है।

भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार चार्टर पर 10 अप्रैल 1979 को हस्ताक्षर करके मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की, तथा सितम्बर 1993 में मानवाधिकार अध्यादेश को पारित करते हुये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसने देश में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किये है और मानवाधिकार हनन रोकने के लिए कड़ें से कड़े कदम उठाये है। उ0प्र0 राज्य में भी मानवाधिकार हनन की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय, लखनऊ में एक मानवाधिकार सेल गठन किया गया है।

1.2 मानवाधिकार का स्वरूप एवं महत्व :–

प्राचीन काल में कई निरकुंश राजतंत्र थे जो निरीह जनता का उत्पीड़न कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थें। ऐसे अधिकारों के प्रारम्भिक साक्ष्य 1215 ई0 में अंग्रेजी राजतंत्र के सर्वाधिक निकृष्ट व निर्दयी शासक सम्राट जॉन द्वारा निर्गत किया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज "मैग्नाकार्टा" अधिकार पत्र था जिसमें सर्वप्रथम मानवाधिकारों से सम्बन्धित उपबन्ध किये गये थे। यह मैग्नाकार्टा चार्टर विश्व इतिहास में मानवाधिकारों के समबन्ध में प्रथम चार्टर कहा जा सकता है। इसी कम में 1689 ई0 में इग्लैण्ड में " बिल आफ राइट्स " के जरिए भी कानून के दृष्टि में समानता निर्वाचन का अधिकार,

प्रजातांत्रिक मूल्यों की घोषणा की गई तथा इंग्लैण्ड में ही ''बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम– 1679'' भी मानव को न्यायप्रदान करने के लिए निर्मित किया गया।

अरस्तु, सेंट टामस, एक्वीनास, ह्यूगो, ग्रोसियान, टामस हाब्स, स्पिनोजा, जॉन लॉक आदि ने अपने–अपने काल मे मानव अधिकारों के सम्बन्ध में नैसर्गिक न्याय नेसर्गिक विधान तथा शाश्वत अधिकारों के दार्शनिक विचारधारा द्वारा प्रतिपादित करते हुए तत्कालीन समाज को जागरूक किया था जिससे लोंगों में जागृति आयी थी और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गये थे। टामस पेनी सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में व्याप्त बेचैनी व अराजकता के कारणों का विश्लेषण कर अपनी'' मानव अधिकार '' नामक पुस्तक लिखी।

मानव अधिकारों के मांग के सम्बन्ध में सर्वाधिक शर्मनाक घटना भारत का ''जालियावाला बाग हत्याकाण्ड'' (13 अप्रैल 1919) तथा अमेरिका द्वारा 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराये गये परमाणु बम जिससे हजारों मौतों ने समूचे विश्व जगत व मानवता को झकझोर दिया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) तथा द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) मानवाधिकारों के हनन की इन घटनाओं ने ही '' संयूक्त राष्ट्र संघ '' की स्थापना के विचारों को जन्म दिया और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट संघ का विश्व प्रसिद्ध महत्वपूर्ण चार्टर तैयार किया गया था जिसमे मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए अन्तराष्ट्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार बिल तैयार किया गया तथा सभी आजाद देशो ने इसे अपना समर्थन तथा सभी आजाद देशो ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। 1946 ई0 में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई तथा 10 दिसम्बर 1948 ई0 को संयुक्त की गई तथा संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव संख्या 270(।।।) निर्गत करते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई जिसमें मानवाधिकारों को 30 अनुच्छेदों में बाँटकर वर्णित किया गया है। 10 दिसम्बर 1948 ई0 की सार्वभौमिक घोषणा के कारण ही प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस'

के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 53 देश संयुकत राष्ट्र मानावाधिकार आयोग के सदस्य है।

भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के मानावाधिकार चार्टर पर 10 अप्रैल 1979 को हस्ताक्षर करके मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की तथा 1993 में मानवाधिकार अधिनियम को पारित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। जिसमें देश के मानवाधिकारो के संरक्षण के लिये व्यापक प्रयास किये गये है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को की गई सार्वभौमिक घोषणा की आजादी, न्याय, शांति तथा लोकतांत्रिक अधिकार व समानता को आधारशिला माना गया है। इस सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेदों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्राओं के विषय में विस्तृत उल्लेखन किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

अनुच्छेद 1 :— सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई है। उन्हे परस्पर भ्रातृतव की भावना से कार्य करना चाहिये।

अनुच्छेद 2 :— प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है; इसमें मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति या अन्य प्रास्थिति के आधार पर कोई विभेद नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 3 :— प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4 :— किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नही रखा जायेगा, सभी प्रकार की दासता और दास—व्यापार निषिद्ध होगा।

अनुच्वेद 5 :—किसी भी व्यक्ति को यंत्रणा नही दी जायेगी या उसके साथ क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नही किया जायेगा या उसे दण्ड नही दिया जायेगा।

अनुच्छेद 6 :– प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का। अधिकार है।

अनुच्छेद 7 :– सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार है। सभी व्यक्ति इस घोषणा के अतिक्रमण में विभेद के विरूद्ध और ऐसे विभेद के उद्दीपन के विरूद्ध समान संरक्षण के हकदार है।

अनुच्छेद 8 :– प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यो के विरूद्ध समक्ष राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 9 :– किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढ़ग से गिरफ्तार, निरूद्ध या निर्वासित नही किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 :– प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारो और बाध्यताओं के और उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप के आवधारणा में पूर्णतया समान रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा ऋजु ओर सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

अनुच्छेद 11 :– ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दांडिक अपराध का आरोप है यह अधिकार है कि उसे तब तक निपराध माना जाएगा जब तक उसे उसे लोक विचारण में ,जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए सभी गारंटियां प्राप्त हो विधि के अनुसार दोषी साबित नही कर दिया जाता।

अनुच्छेद 12 :– किसी भी व्यक्ति को एकांतता, कुटुम्ब घर या पत्र व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नही किया जाएगा और उसके ख्याति और सम्मान पर प्रहार नही किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरूद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 13 :– प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य के सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा अपने देश को या किसी देश को छोड़ने और अपने देश में आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14 :– प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य देषों में शरण मांगने और लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 15 :– किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से और न राष्ट्रीयता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 16 :– वयस्क पुरूष और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना, विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 17 :– प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है तथा किसी को भी उसकी सम्पत्ति से वंचित नही किया जा सकता।

अनुच्छेद 18 :– प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है।

अनुच्छेद 19 :– प्रत्येक व्यक्ति को अपना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओ का विचार किए बिना जानकारी मांगने , प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद 20 :– प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्वक सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता का अधिकार है।

अनुच्छेद 21 :– प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्रता पूर्वक चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 22 :– प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप मे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 23 :– प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने, नियोजन के स्वतंत्र चयन का कार्य की न्यायोचित और अनुकुल दशाओं की और बेरोजगारी के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 24 :– प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है जिसके अन्तर्गत कार्य के घन्टों की युक्तियुक्त सीमा और वेतन सहित आवधिक छुटिटयाँ भी है।

अनुच्छेद 25 :– प्रत्येक व्यक्ति को उचित जीवन स्तर का अधिकार है तथा मातृत्व और बाल्यकाल विशेष देखभाल ओर सहायता के हकदार है। सभी बच्चे, चाहे उनका जन्म विवाहित जीवनकाल में हुआ हो या अन्यथा, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करेगे।

अनुच्छेद 26 :– प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है तथा माता–पिता को यह चयन करने का पूर्णाधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की षिक्षा दी जाएगी।

अनुच्छेद 27 :– प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय में सांस्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने और वैज्ञानिक प्रगति और उनके फायदों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 28 :– प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तर्राश्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29 :– प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है, जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्ण विकास संभव है।

अनुच्छेद 30 :– इस घोषणा की किसी बात का यह निर्वचन नही किया जाएगा कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कार्यकलाप या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार विवक्षित है जिसका लक्ष्य इसमें उपवर्णित आधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद

निम्नलिखित समझौते को स्वीकार करके मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रयत्नों को उचित दिशा तथा शक्ति देने का प्रयास किया गया –

(1) नरसंहार के अपराध को रोकने तथा सजा देने से सम्बन्धित समझौता (1948)

(2) स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिज्ञा पत्र (1952)

(3) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (1966)

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संध के व्यापक प्रयासों के बावजूद भी मानवाधिकार हनन की घटनाएँ जारी है।

भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार :–

भारत एक प्राचीन सभ्य, सहिष्णु और संस्कृति सम्पन्न राष्ट्र है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से ओत–प्रोत इस देश की संस्कृति मानव–मात्र के कल्याण की भावना रखने वाली रही है। हमारी संस्कृति में मानवाधिकारों की रक्षा का स्थान सदैव रहा है। वैदिक काल से ही भारतीय इतिहास मानवाधिकारों का संरक्षक रहा हैं। सदियों से हमारी भावना " सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामया" की रही है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान वेत्ताओं ने भारतीय संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 "मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों" के रूप में मानवााधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्यों का प्रावधान किया।

भाग 3 मौलिक अधिकार (अनु0 12 से अनु0 35)

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद– 14 से 18)

- **अनुच्छेद–14** विधि के समक्ष समता का अधिकार

निम्नलिखित समझौते को स्वीकार करके मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रयत्नों को उचित दिशा तथा शक्ति देने का प्रयास किया गया –

(1) नरसंहार के अपराध को रोकने तथा सजा देने से सम्बन्धित समझौता (1948)

(2) स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिज्ञा पत्र (1952)

(3) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (1966)

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संध के व्यापक प्रयासों के बावजूद भी मानवाधिकार हनन की घटनाएँ जारी है।

भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार :–

भारत एक प्राचीन सभ्य, सहिष्णु और संस्कृति सम्पन्न राष्ट्र है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से ओत–प्रोत इस देश की संस्कृति मानव–मात्र के कल्याण की भावना रखने वाली रही है। हमारी संस्कृति में मानवाधिकारों की रक्षा का स्थान सदैव रहा है। वैदिक काल से ही भारतीय इतिहास मानवाधिकारों का संरक्षक रहा हैं। सदियों से हमारी भावना " सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामया" की रही है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान वेत्ताओं ने भारतीय संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 "मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों" के रूप में मानवााधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्यों का प्रावधान किया।

भाग 3 मौलिक अधिकार (अनु0 12 से अनु0 35)

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद– 14 से 18)

➤ **अनुच्छेद–14** विधि के समक्ष समता का अधिकार

- **अनुच्छेद–15** राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नही करेगा।
- **अनुच्छेद–16** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम तथा जन्म स्थान के आधार पर सेवाओं में कोइ भेदभाव नही करेगा।
- **अनुच्छेद–17** अपृश्यता का अंत
- **अनुच्छेद–18** उपाधियों का अंत। किन्तु शिक्षा एवं सेना में उपाधियाँ दी जा सकती है।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद– 19–22)

- **अनुच्छेद–19** विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
- **अनुच्छेद–20** अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण
- **अनुच्छंद–21** व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा
- **अनुच्छेद–22** बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद– 23–24)

- **अनुच्छेद–23** मनुष्यों के क्रय–विक्रय और बेगार में रोक
- **अनुच्छेद–24** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद– 25–28)

- **अनुच्छेद–25** अन्तःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद–26** धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद–27** धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन परकर की अदायगी से छूट

- **अनुच्छेद–28** शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता

5. संस्कृति और शिक्षा संबधी अधिकार (अनुच्छेद– 29–30)

- **अनुच्छेद–29** अल्पसंख्यक वर्गो के हितों का संरक्षण
- **अनुच्छेद–30** शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद–32)

- **अनुच्छेद– 32** यह नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्य विधियाँ प्रतिपादित करता है।

संविधान द्वारा प्रदान किए गये इस अधिकार को **डा. बी.आर. अम्बेदकर** ने **"संविधान के हृदय तथा आत्मा"** की संज्ञा दी। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिय सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते है तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते है। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकता है–

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Writ of Hbeas Corpus)
2. परमादेश लेख (Mandamus)
3. प्रतिशेध लेख (Prohibition)
4. अधिकार पृच्छा लेख (Quo-warranto)
5. उत्प्रेक्षण लेख (Writ of certiorari)

भाग 4 नीति निर्देशक तत्व :— (अनुच्छेद 36—51)

भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिये गये है। हाँलाकि ये किसी न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय नही है किन्तु फिर भी इनमें लिखित तत्व देश के शासन के मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

डॉ0 के0 टी0 शाह के शब्दों में :—

" राज्य के नाति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी"

- **अनुच्छेद 36—37** :— के अनुसार नीतिनिर्देशक तत्वों में वर्णित सिद्धान्त वाद योग्य नही है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नही है।
- **अनुच्छेद 38** :— राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा।
- **अनुच्छेद 39** :— समान न्याय और निःषुत्क विधिक सहायता।
- **अनुच्छेद 40** :— ग्राम पंचायतों कर गठन।
- **अनुच्छेद 41** :— कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 42** :— काम के न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
- **अनुच्छेद 43** :— कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि।
- **अनुच्छेद 44** :— नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।
- **अनुच्छेद 45** :— बालकों के लिए निःशुल्क और शिक्षा ।
- **अनुच्छेद 46** :— दुर्बल वर्गो की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि।

➢ **अनुच्छंद 47** :– मद्य और मादक पेयों औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करना।

➢ **अनुच्छेद 48** :– कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से संगठित करना तथा उपयोगी पशुओं का वध का प्रतिषेध करना।

➢ **अनुच्छेद 49** :– राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण।

➢ **अनुच्छेद 50** :– कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

➢ अनुच्छेद 51 :– अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एवं कार्य :–

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य होते है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के0 जी0 बालकृष्णन है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य :–

➢ सक्रिय या प्रत्युत्तर रूप में मानवाधिकार उल्लघंन की जांच करना या ऐसे उल्लघंनों के रोक में लोक सेवकों द्वारा की गई लापरवाही की जांच करना।

➢ न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय की कारवाई में हस्तक्षेप करना।

➢ राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वैसे जेलों या संस्थाओं का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करते के लिए दौरा करना जहां किसी व्यक्ति को कैद करके रखा गया है या इलाज, सुधार या सुरक्षा के लिए रखा गया है।

➢ मानवाधिकारो की संरक्षा के लिए लागू किसी कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त या संविधान के भीतर के रक्षापायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कियान्वयन के लिए सिफारिशें देना।

➢ मानवाधिकार को क्षति पहुंचाने वाले आंतकवाद सहित अन्य कारकों की समीक्षा करना तथा उचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिशें करना।

➢ संधियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय तंत्रों का अध्ययन एवं उनके प्रभावी कियान्वयन हेतु सिफारिशें करना।

➢ मानवाधिकार के क्षेत्र में शोधों का संवर्द्धन।

➢ समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच मानवाधिकार शिक्षा में संलग्न होना।

➢ मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों तथा संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

➢ ऐसा कोई और कार्य जो कि मानवाधिकारों की संरक्षा के लिए आयोग आवश्यक समझता है।

1.3 शोध की समस्या एवं उसका शैक्षिक महत्व :–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह समाज में रहकर ही अपना वैयक्तिक विकास करता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है व्यक्ति को विकसित होने की सभी सुविधाये जुटाएँ और उसके विकास में सहयोग दे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है इसलिए राज्य, विद्यालय तथा अभिवावकों को यह कर्तव्य है कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में कोई कमी न आने दे। मनुष्य के विकास के लिए उचित वातावरण की स्थापना करना राज्य समाज का कर्तव्य है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1945 में **"संयुक्त राष्ट्र संघ"** की स्थापना हुई तथा इसी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व प्रसिद्ध चार्टर तैयार किया गया जिसमें मानव के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गयी जिसमें मनुष्य को अनेक अधिकार प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के भाग 3 तथा भाग 4 में भी

मानव को अनेक अधिकार प्राप्त है किन्तु अभी तक अधिकांश व्यक्ति इस अधिकारों को नही जानते और न ही इनकी शिक्षा में कही व्यवस्था है।

1.4 समस्या की उत्पत्ति :–

समस्या की उत्पत्ति उस परिस्थितियों में होती है जिसमें कार्यकर्ता जागरूक होता है तथा उसे इस बात की अनुभूति होती है कि सुचारू रूप से कार्य संचालन में बाधाएँ है इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है तथा इन्हे दूर करने से सैद्धान्तिक अथवा व्यवहारिक किसी समस्या का समाधान हो सकता है। हम अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का अनुभव करते है। फिर भी हम उनसे मुख मोड़ लेते है। जब तक हमारे अन्दर जिज्ञासा न होगी तथा हमारी प्रवृत्ति वैज्ञानिक न होगी हमें कोई समस्या न होगी। जिज्ञासु तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अनेक समस्या देखता है तथा उनके समाधान की आवश्कता और महत्व को समझता है उसमें असन्तोष वृत्ति होती है यह असन्तोष तथा जिज्ञासा उसमें अनुसंधान वृत्ति पैदा करती है।

भारत में संविधान तथा कानूनों के माध्यम से मानव को अनेक अधिकार प्रदान किये गये है किन्तु हमारे यहाँ अधिकांश छात्र इन अधिकारों के बारे में जागरूक नही है। इसका मुख्य कारण इन अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा के रूप में इसकी कोई व्यवस्था नही है।

छात्रों को इन अधिकारों की जानकारी प्रदान करना कितना आवश्यक है तथा शिक्षण संस्थानों के पाठ्यकमों में मानवाधिकारों को शिक्षा के रूप में शामिल कर नई पीढ़ी को मानव गरिमा का पाठ पढ़ाया जाना कहाँ तक अनिवार्य है तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए छात्र–छात्राओं को शिक्षित किया जाना चाहिए की नहीं। छात्र–छात्राएँ इन अधिकारों के प्रति जागरूक है या नहीं प्रश्नों की जिज्ञासा को शान्त करने हेतु शोध कार्य के समस्या की उत्पत्ति हुई।

1.5 समस्या का चयन :–

समस्या का उस परिस्थितियों में जन्म होता है जिसमें हम यह अनुभव करते है कि समस्या है कि कुछ ऐंसी बात है जिसके सम्यक समाधान के बिना कठिनाइयों का अस्तित्व बना रहेगा।

अनुसंधान कार्य का प्रथम चरण समस्या का चयन करना होता है। अनुसंधानकर्ता विभिन्न सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त समस्या का निर्धारण कर सकता है। साधारणतया यह परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती है–

1. समाज की तत्कालीन समस्या

2. व्यक्तिगत उत्सुकता

वर्तमान में शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के "वैयक्तिक और सामाजिक विकास" का प्रमुख साधन है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही समाज को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है और समाज की भलाई के लिए व्यक्ति उनका उपयोग करता है।

शिक्षा मानव अधिकारों के संरक्षण का सर्वोत्तम साधन है। अतः आवश्यक है कि मानवाधिकारों की शिक्षा प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों को दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्भ से ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो एक का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है इस कारण तत्सम्बन्धी जागरूकता अनिवार्य है। अतः प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर से ही सरल भाषा में ही छात्रों को मानवाधिकारों के बारें में जानकारी प्रदान करने से निश्चित रूप से वह ज्ञान उसके संस्कार व चरित्र का भाग बन जाएगा तथा आने वाली कक्षाओं में इसके प्रति और जागरूक होता जाएगा।

मानवाधिकारो के विषय में जानकारी केवल छात्रों को ही नही बल्कि छात्राओं को भी समान रूप से प्रदान की जाए जिससे कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बन सकें।

1.6 समस्या कथन :–

"स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन"

1.7 समस्या में प्रयुक्त किये गये शब्दों का परिभाषीकरण

(क) मानवाधिकार :–

साधारण रूप में अधिकारों को व्यक्ति के ऐसे दावे कहा जाता है कि जब समाज द्वारा स्वीकृति हो तथा राज्य द्वारा लागू किया गया हो। यह दावे या अधिकार व्यक्ति के इतने महत्वपूर्ण माने जाते है कि इनकी अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ रूप को प्राप्त नही कर सकता। परन्तु मानवाधिकार की धारणा अन्य अधिकारों की धारणा से व्यापक है।

रेण्डम हाउस एनसाइक्लोपीडिया में मानवाधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है – " Powers conditions of existence and possession which and individual has claim of title by virtue of being human "

अल्बर्ट क्राईस्ट ने कहा है–

"आज मानवाधिकारों की बातें करते हुए मुख्यतः इन्ही बातों में जोर देते है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य या कुछ पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों द्वारा न बाधित होने देना, कार्य करने और कमाने की आजादी, बोलने और अध्ययन की आजादी, अपनी सरकार बनाने में व्यक्ति का मुक्त योगदान। सिद्धान्ततः वर्तमान में इन्हें ही मानवाधिकार के रूप में जाना जाता है।"

लास्की के अनुसार :–

"मानव अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिथितियाँ हैं बगैर सामान्यतया कोई भी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है।"

(ख) जागरूकता :–

जागरूकता व्यक्ति के उस मानसिक चेतना को कहते है जिसके द्वारा कह किसी विषय के प्रति सम्पूर्ण जानकारी रखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक समूह में रहता है। प्रत्येक समूह से कुछ अधिकार प्राप्त होते है तथा असके साथ–साथ उसके समाज के प्रति कर्तव्य भी है।

मनुष्य को समाज में सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि वह अपने अधिकारों के बारें में जाने तथा कर्तव्यों का पालन करें तथा समय–समय पर उसका पालन यथाचित रूप से करे। जो व्यक्ति समाज में अपने अधिकारों के प्रति जितना जागरूक रहेगा वह उपना ही सफल जीवन जी सकेगा। अतः व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह समाज के एक जागरूक प्राणी बनकर रहे।

(ग) स्नातक स्तर के विद्यार्थी :–

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से तात्पर्य उन बालक–बालिकाओं से है जो 10+2 की शिक्षा प्राप्त कर विश्वविद्यालय में बी0ए0, बी0एस0सी0, एवं बी0काम0 की शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

1.8 शोध के उद्देश्य :–

प्रत्येक अध्ययन और कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य के अभाव में किसी कार्य की सार्थकता सिद्ध नही हो सकती है। उद्देश्य के अभाव में कोई भी कार्य सुनियोजित तरीके से सम्पादित नही किया जा सकता। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य का उद्देश्य भी इन्ही सिद्धान्तों में आधारित है। प्रसतुत लघु शोध कार्य करने में शोधार्थी का निम्न उद्देश्य था :–

1. छात्र एवं छात्राओं में मानवधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करना।

2. कला एवं विज्ञान वर्ग कें छात्र–छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करना।

3. ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की तुलना करना।

1.9 शोध की परिकल्पना :–

प्रस्तुत शोध में समस्या के हल के लिए एक सम्भावित हल की कल्पना की जाती है यही परिकल्पना कहलाती है। परिकल्पना के बिना शोधकार्य को दिशा नही मिलती है। कुछ मनोवैज्ञानिको ने परिकल्पना को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :–

करलिंगर के अनुसार :–

"एक परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के सम्बन्ध के विषय में एक कल्पना कथन होता है।"

मैक्गुइगन के अनुसार :–

"परिकल्पना दो या अधिक के सम्भावित सम्बन्ध का एक परीक्षण योग्य कथन होता है।"

टाउनसेण्ड के अनुसार :–

"परिकल्पना एक समस्या का सम्भावित उत्तर होता है।"

शोंधकर्ता ने प्रस्तुत शोंध की परिकलपना के रूप में शून्य परिकल्पना को चुना है। यह शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है :–

1.छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नही है।

2. कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नही है।

3. ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नही है।

1.10 समस्या का परिसीमन :–

प्रत्येक समस्या का एक विशाल स्वरूप होता है जो अपने में न केवल अंचल अपितु सम्पूर्ण प्रदेश, देश व विश्व को समेट लेता है। प्रत्येक अनुसंधान समस्या की

प्रकृति तथा क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जाता है किन्तु समस्या को व्यवहार रूप में अध्ययन करने के लिए परिसीमन करना आवश्यक होता है।

जान डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार– *"किसी शोध की सीमाएँ वह दशाएँ है जिनपर शोधकर्ता नियन्त्रण रखता है क्योंकि किसी विषेश स्थान के संदर्भ में निकाले जाते है तथा ये निष्कर्ष इसी तरह की अन्य सभी परिस्थितियों में लागू किये जा सकते है।"*

समयाभाव एवं साधन सीमित होने के कारण समस्या का क्षेत्र सीमित किया गया है। अध्ययन को निम्नलिखित परिसीमा में रखा गया है :–

1. प्रस्तुत अध्ययन समयाभाव के कारण लघु न्यादर्श पर किया गया है।

2. प्रस्तुत शोध में 100 छात्र–छात्राओं का न्यादर्श लिया गया है।

3. उपलब्ध समय सीमा को देखते हुए प्रस्तुत शोध बाँदा जिले के महाविद्यालयों मे अध्ययनरत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों पर किया गया है जो निम्न है :–

1 :– सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय बबेरू (बाँदा)

2. :– स्व0 गया प्रसाद प्रसाद महाविद्यालय भभुवा (बाँदा)

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

अध्याय–द्वितीय

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

2.1 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं महत्व :–

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के लिए शोधकर्ता को शोध हेतु जिस उपक्षेत्र में समस्या का चयन करता है उसका अध्ययन सैद्धान्तिक एवं क्रियात्मक दृष्टि से कितना हो चुका है, इसकी नवीनतम जानकारी होनी नितान्त आवश्यक है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना शोधकर्ता का कार्य कुशल ढ़ग से हो ही नही सकता है। सम्बन्धित क्षेत्र के साहित्य के अध्ययन के अभाव में शोधकार्य हो ही नही सकता।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोशों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अंधेरे में तीर के समान होगा। इसके अभाव में उचित दिशा में वह एक पग भी आगे नही बढ़ सकता जब तक कि उसे ज्ञात न हो कि इस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या आये है तब तक वह न हो समस्या का निधारण कर सकता है और न उसकी रूपरेखा तैयार कर कार्य सम्पन्न कर सकता है।

सम्बन्धित साहित्य के अवलोकन या ज्ञानार्जन के द्वारा शोध सम्बन्धी जानकारी एवं उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। साहित्य की जानकारी प्राप्त होने से शोधकर्ता को

कठिनाई समाप्तप्राय हो जाती है जिससे धन, समय व शक्ति की बचत होती है। शोध से सम्बन्धित साहित्य क्षेत्र में किए गये अनुसंधान एवं शोध की जानकारी लेना है।

सम्बन्धित साहित्य की व्याख्या का वर्णन करते हुए -

"गुडबार तथा स्केट्स ने लिखा है कि :–

"एक कुशल चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिक खोजों से परिचित होता रहे। इसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है।"

बेस्ट महोदय ने 1965 में लिखा है कि :–

"व्यवहारिक दृष्टि से सारा मानव–ज्ञान पुस्तको व पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों के जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारम्भ करते है, मानव–समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहीत एवं सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार सिद्ध होते है।

डब्ल्यू0 आर0 बोर्ज ने कहा है :–

" किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिक्षा के समान है जिस पर भार एवं कार्य आधारित होता है। यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नीव को दृढ़ नही कर लेते तो हमारा कार्य प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की संभावना है अथवा यह पुनरावृत्ति भी हो सकती है।"

इसप्रकार सभी मनोवैज्ञानिकों एवं लेखकों ने एकमत से अनुसंधान कार्य की सफलता के लिए सम्बन्धित का अध्ययन अरिहार्य माना गया है। सम्बन्धित साहित्य की उपयोगिता को निम्न बिन्दुओं द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है :–

- सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन या सर्वेक्षण अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक पुनरावृत्ति से रोकता है।
- यह अध्ययन अब तक उस क्षेत्र विशेष में हो चुके कार्य की सूचना देता है।
- यह शोध प्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधान के ज्ञान उसकी स्पष्टता तथा कार्यकुशलता को स्पष्ट करता है।
- यह समस्या के चुनाव तथा विश्लेषण करने में सहायक होता है।
- इसके अध्ययन से शोधकर्ता को रूपरेखा तैयार करने में सहायक होता है।
- इसके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता के समय, शक्ति तथा धन की बचत होती है।
- अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास की भावना को उत्पन्न करता है।

सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध में साहित्य का पुनर्निरीक्षण तथ्यों को एकत्र करके पहले से तैयार किये कार्यों की विभिन्नता प्रदान करता है। यह अभिलेखन शोध कार्यो को अत्यन्त वैज्ञानिक और नवीनतम बनाता है। सम्बन्धित साहित्य शोध सम्बन्ध का एक अध्याय जोड़ने तथा ग्रन्थ सूची तैयार करने के लिए ही आवश्यक नही है अपितु अनुसंधान के स्तरों पर सहायक होता है। पक्ष समस्या का चुनाव, समस्या का परिभाषीकरण तथा विश्लेषण एवं कथन परिकल्पनाओं का निर्माण, अध्ययन की सीमा निर्धारण, अध्ययन का रूपरेखा तैयार करने, न्यादर्श के चुनाव, आकड़ों का सारणीयन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग तथा निष्कर्ष निकालनें सभी में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस क्षेत्र में कितना कार्य किस रूप में हो चुका है, व्यक्तियों ने क्या परिकल्पनाएं कर ली थी तथा किस विधि के न्यादर्श तथा आंकड़ों का

संग्रह सारणीयन एवं विश्लेषण क्या निष्कर्ष निकाले तथा उनका निष्कर्ष हमारे निष्कर्ष से कहाँ तक सहमत अथवा असहमत है आदि का निर्णय पूर्णता में सहायता करता है।

शोधार्थी ने वर्तमान समस्या के बारे में सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों , पत्रिकाओं, पुराने शोधों एवं लेखों तथा अनुसंधान सर्वेक्षण का अध्ययन किया है।

प्रस्तुत शोध स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन से सम्बन्धित है देश–विदेश मे अनेक शोध कार्य हुए है तथा अनुसंधानकर्ता ने इसके अलग–अलग पहलुओं पर प्रकाश डालने का कार्य किया है। इस समस्या से सम्बन्धित साहित्यों का शोधकर्ता ने गहन अध्ययन किया है

शोधकर्ता ने उपलब्ध साहित्य सर्वेक्षण के आधार पर महत्वपूर्ण शोध निष्कर्षो को निम्न प्रकार से संकलित किया है :

2.2 समस्या से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण :–

- **पंडित जवाहर लाल नेहरू (1947) :–**

  भूखे और नंगे लोगों के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नही होता है। इनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है जब सभी लोग आत्मनिर्भर होगे तभी सभी के मानवाधिकारों की रक्षा संभव है।

- **डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (1960) :–**

  जीवन जीने की उचित उचित परिस्थितियाँ ही मानवाधिकार है बतः राज्य का यह कर्तव्य है कि सभी के लिए जीवन जीने की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराए।

- **अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर (1960) :–**

  अमेरिका का प्रमुख लक्ष्य दुनियाँ में मानवाधिकारों की रक्षा है दुनियाँ क सभी लोग आत्मनिर्भर हो यह अमेरिका का दूरगामी लक्ष्य है।

➢ **जिमी कार्टर (1998) :–**

सूडान में मानवाधिकारों के हनन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि ''दुनियाँ के सभी विकसित राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि वे सूडान में मानवाधिकारों से वंचित वर्ग को न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराए।

➢ **तेज प्रताप यादव (2002) :–**

ने अपने शोध का विषय ''मानवाधिकारों की रक्षा में गाँधी दर्शन की उपदेयता का अध्ययन''चुना तथा निष्कर्ष निकाला कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमें गाँधी दर्शन के सिद्धान्त का महत्व देना होगा

➢ **रूबी वर्मा (2003) :–**

ने ''माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन'' विषय के रूप में शोध कार्य किया। इस शोध कसर्य के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागसकता का अध्ययन रहा तथा शोधकर्ता निष्कर्ष के रूप में यह पाया कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है।

➢ **उमेन्द्र जीत कौर (2005) :–**

ने 21 वीं शताब्दी में ''भारत में मानवाधिकारों की प्रगति के स्तर'' का विश्लेषण किया तथा निष्कर्ष निकाला का भारत में मानवाधिकारों के स्तर में आपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है।

➢ **भट्ट केनी (2006) :–**

''अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित मानवाधिकार प्रावधानों का भारतीय महिलाओं के लिए अब तक इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का अध्ययन'' पर शोध कार्य किया तथा निष्कर्ष निकाला कि भारत में महिलाओं के

लिए मानवाधिकार से सम्बन्धित अनेक प्रावधान अब तक किये जा चुके है किन्तु जागरूकता की कमी एवं प्रशासन की लापरवाही के कारण इस पर सफलता नहीं मिल पा रही है।

➢ **ज्योत्सना यागनिक कान्ती लाल (2006) :–**

ने " अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित मानवाधिकार प्रावधानों का भारत में महिलाओं के लिए अब तक इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का अध्ययन" पर शोध कार्य किया तथा निष्कर्ष निकाला कि भारत में महिलाओं के लिए मानवाधिकार से सम्बन्धित अनेक प्रावधान अब तक किये जा चुके है किन्तु जागरूकता की कमी एवं प्रशासन की लापरवाही के कारण इस पर सफलता नही मिल पा रही है।

➢ **डेसमंड टूटू (10 दिसम्बर 2007) :–**

मानवाधिकारों की रक्षा करनी है तो शांति आवश्यक है और शांति के लिए शिक्षा की पूर्ण आवश्यकता है अतः शिक्षा मानवाधिकार है।

➢ **अटल बिहारी वाजपेयी (2007) :–**

वसुधैव कुटूम्बकम की भावना को तभी सार्थक किया जा सकता है जबकि दुनियाँ में सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो जाए।

➢ **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगः–**

ने दुनियाँ में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अनेक सुझाव दिए है–

1. प्रत्येक देश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाय।
2. मानवाधिकारों के हनन को गम्भीरता से लिया जाए।

तृतीय अध्याय

अनुसंधान विधि

तृतीय अध्याय

अनुसंधान विधि

3.1 प्रस्तुत शोध हेतु कार्य योजना :–

अनुसंधान के लिए कार्य योजना का बहुत महत्व है एक क्रमिक और सफल अध्ययन के लिए आवश्यक है कि निश्चित नियमों का अनुपालन किया जाए क्योंकि यह सर्वविदित है कि नियम व कानून किसी सफलता के द्योतक होते है। इसीलिए किसी कार्य की निश्चित योजना बना लेते पर लक्ष्य प्राप्ति में सुगमता होती है अतः अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन के लिए एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। कार्य की रूपरेखा एक संरचना व योजना प्रदान करती है जो अनुसंधान को निश्चित करती है और ठीक निष्कर्ष पर पहुचने में सहायता प्रदान करती है।

अनुसंधान के द्वारा अनसुलझी समस्याओं का समाधान करने का एक उत्तम तरीका है। अनुसंधान के द्वारा समस्याओं का निराकरण करना एक सुनियोजित विधि है। इसके द्वारा उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है तो सतस्या बना रहा हैं। शोधार्थी के द्वार इस लघु शोध में समस्याओं का निराकरण करने का एक लघु प्रयास है।

अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रकिया है जिसके द्वारा तानव जीवन की सतस्या का हल खोजकर उसके सुगम तथा मंगलमय बनाया जाता है। अनुसंधान के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों का उततर देने का प्रयास किया जाता है जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नही हो सका है।

एक परिभाषा के अनुसार "शोध प्रारूप" शोध की रूपरेखा तैयार करने की विधि है जिसमें शोध के उद्देश्य शोध तथा प्रविधियों, प्रदत्तों संकलन की प्रविधियों

एवं सांख्यिकी विश्लेषण का शोध प्रारूप में आवश्यक रूप से उललेख किया जाता है। शोध प्रारूप न केवल समय , शक्ति तथा धन के अपव्यय से बचाता है बल्कि शोधकर्ता को ऑकड़े ऐकत्र करने में सहयोग प्रदान करता है। सुविधा का दृष्टि से अध्ययन को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है :–

1. शोध विधि 2. जनसंख्या 3. न्यादर्श 4. अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण तथा तकनीक 5. प्रश्नावली का परीक्षण, प्रशासन एवं अंकीकरण 6. प्रदत्तों का संकलन 7. अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियॉ।

3.2 शोध विधि :–

शोध विधि अनुसंधान किया को सम्पादित करने का एक ढ़ग है जो समस्या की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का क्रमिक विकास होता रहा है। अनुसंधान की इसमें तहत्वपूर्ण्र भूमिका रही है। अनुसंधान खोजने की वैज्ञानिक विधि है इसके अन्तर्गत समस्या के विभिन्न पक्ष के विषय में अनेक प्रकार की सामाग्री एकत्रित करके तथा उसका विधिपूर्ण विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है।

अनुसंधान की विधियाँ :–

अनुसंधान विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया जाता है किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करते हुए शिक्षा सम्बन्धी, मनोविज्ञान सम्बन्धी तथा इतिहास सम्बन्धी अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया है तो किसी ने उसके उद्देश्य तथा आँकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण किया है। सामान्यतः अधिकांश विद्वानों ने निम्नलिखित वर्गीकरण को मान्यता दिया है :–

1. ऐतहासिक अनुसंधान :–

इनका सम्बन्ध भूतकाल से है तथा यह भविष्य को समझाने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है। ऐतहासिक अनुसंधान का तात्पर्य अतीत की घटनाओं

का विवरण प्रस्तुत करना ही नही है वरन् उन विचार धाराओं के क्रमिक विकास का विश्लेषण करना है जो इतिहास के विभिन्न कालों में उदित तथा विकसित हुए है तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के संदर्भ में उनका मूल्याकन करना है।

2. प्रयोगात्मक अनुसंधान :–

इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप में दो या दों से अधिक तत्वों के सम्बन्ध की व्याख्या करना होता है। प्रयोग एक ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है अर्थात् प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियन्त्रित दशाओं में स्वतन्त्र चर से परिवर्तन के प्रभाव परतंत्र चर पर देखा जाता है।?

3. वर्णनात्मक अनुसंधान :–

इसका सम्बन्ध वर्तमान से होता है। इसके अन्तर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है।

वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान स्थिति की व्याख्या तथा विवेचना प्रस्तुत करता है इसका सम्बन्ध उन स्थितियों तथा सम्बन्धों सें है जिनका अस्तित्व वर्तमान में है अथवा व्यवहारों सें है जो प्रचलित है व उन दृष्टिकोणों अथवा अभिवृत्तियों सं हे जिनका प्रचलन है व ऐसे प्रक्रमों से है जो सक्रिय है तथा प्रभावों सें है जिन्हे अनुभव किया जा रहा है।

प्रस्तुत अनुसंधान में प्रयुक्त शोध विधि :–

अनुसंधान के मुख्यतः तीन उदृदेश्य होते है – (1) सैद्धान्तिक (2) तथ्यात्मक (3) उपयोग। ये उद्देश्य अनुसंधान की विभिन्न विधियों एवं शोध व्यूह के प्रयोग करने पर प्राप्त किये जाते है। विधि अनुसंधान क्रिया को परिभाषित करने का एक ढ़ग है जो समस्या की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन का विषय "स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन" है। अतः प्रयुक्त अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

सर्वेक्षण विधि :—

अनुसंधान में यह सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती हैं। सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के survey हिन्दी रूपान्तर है। जिसकी उत्पत्ति sur या sor तथा veeir या veior से हुई है। जिसका अर्थ कमशः ''ऊपर सें'' तथा ''देखना'' है। इस तरह सर्वेक्षण का अर्थ है– ऊपर से देंखना या अवलोकन करना अथवा अन्वेषण करना होता है।

सर्वेक्षण विधि के वर्तमान किया की सार्थकता सिद्ध करने अथवा वर्तमान किया में सुधार के लिए, वर्तमान दशा से सम्बन्धित आँकड़े एकत्र किये जाते है। सर्वेक्षण सम्बन्धी आँकड़ें एकत्र करने के तीन उद्देश्य होते है :—

1. वर्तमान स्तर का निर्धारण
2. वर्तमान स्तर और मान्य स्तर में तुलना
3. वर्तमान स्तर का विकास करना

सर्वेक्षण में इनमें से कोई एक अथवा अधिक उद्देश्य होता है सर्वेक्षण सम्बन्धी अध्ययन का क्षेत्र तथा उसकी गहराई समस्या की प्रकृति पर कनर्भर होती है। उसके अनुरूप सर्वेक्षण विस्तृत अथवा संक्षिप्त हो सकता है। इसके अन्तर्गत अनेक देशों अथवा एक देश, एक राज्य, एक शहर अथवा एक ईकाई को ले सकते है। आँकड़ें प्रत्येक सदस्य से अथवा न्यादर्श से लिए जा सकते है। आँकड़ें किसी विशेष पक्ष के विषय में प्राप्त करेगें या अनेक पक्षों के विषय में यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर है।

सर्वेक्षण विधि में निम्नलिखित सूचनाएँ ऐकत्र की जाती है :—

1. वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ।
2. भविष्य में कैसी स्थिति चाहते है।
3. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्भावित उत्तर की खोज करना।

वर्तमान परिस्थिति का पता हम वर्तमान स्थिति में सम्बन्धित आँकड़ों के आधार पर कर सकते है।

सर्वेक्षण विधि की विशेषताएँ निम्नलिखित है :–

1. इसका सम्बन्ध व्यक्तियों की विशेषताओं से न होकर स्पष्ट परिभाषा समस्या से होता है।

2. सर्वेक्षण विधि के अन्तर्गत एक ही समस्या में बहुत सारे लोंगों के आँकड़ें प्राप्त किये जा सकते है।

3. यह स्थानीय समस्याओं के समाधान के बारे में उपयुक्त सूचनाएँ देता है।

4. इसके द्वारा वर्तमान नीतियों का निर्धारण कर वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. यह स्थानीय समस्याओं के समाधान के बारे में सूचना देता है।

6. यह कोई उपकरण के निर्माण में सहायता करता है। जिसके द्वारा शोधकर्ता शोध प्रक्रिया को पूरा कर सकता है।

(प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण के लिए शोधकर्ता ने बाँदा जिले के दो महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को चुना है।)

3.3 जनसंख्या :–

शोध में जनसंख्या का भिन्न अर्थ होता है। जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसी में कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता हैं। जनसंख्या सभी इकाइयों अथवा व्यक्तियों का ऐसा योग है कि जिसमें एक इकाई अथवा व्यक्ति छूटने नही पाता । जनसंख्या में कुछ सामान्य विशेषताएँ तथा जिनके सम्बन्ध में अनुसंधानकर्ता कुछ निष्कर्ष ज्ञात करता है।

शोध की जनसंख्या बाँदा जिले के दो महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विद्यार्थी है।

इस प्रकार उपर्युक्त एक विशिष्ट समूह की समस्त इकाइयों को मिलाकर जनसंख्या का चुनाव किया गया है।

3.4 न्यादर्श :–

न्यादर्श समूचे इकाई समूह (जनसंख्या) में चुनी गयी कुछ इकाइयों का समूह है। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र यदि ऐक विशाल समूह हो तो धन, समय, श्रम आदि की अधिक मात्रा में व्यय होता है तथा प्रत्येक इकाई का अध्ययन भी शुद्ध नही हो सकता। इसके विपरीत यदि समस्त इकाइयों का अध्ययन न करके उतने ही इकाईयों का अध्ययन किया जाए जो प्रतिनिधित्व करने वाली इकाईयाँ है। व्यवहारिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न्यादर्श का अध्ययन करना शुद्ध सरल अल्पव्ययी तथा सुगम होता हैं। न्यादर्श को उचित प्रकार से समझने के लिए सह आवश्यक है कि चर, इकाई, जनसंख्या और न्यादर्श को समझा जाए। यदि न्यादर्श जनसंख्या उचित प्रतिनिधित्व नही करता है तों परिणाम निश्चित रूप से दोषपूर्ण होगा। अतः किसी भी शोधकर्ता के लिए यह जानना आवश्यक है कि न्यादर्श क्या है और जनसंख्या से किस प्रकार चुने कि वह सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें।

बोगार्डस के अनुसार :–

"न्यादर्श किया पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाईयों के एक समूह में सें एक निश्चित प्रतिशत का चुनना है।"

"Sampling is the selection of certain percentsge of a group of items according a predeter-mined plan"

गुडे तथा हट्ट के अनुसार :–

"एक न्यादर्श जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी विशाल सम्पूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है।"

पी0वी0 यंग के अनुसार :–

"एक न्यादर्श अपने समस्त समूह का एक लघु रूप है।"

न्यादर्श का उपयोग शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान में अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। इसकस प्रमुख कारण यह कि यह विधि अल्पसमय में परिणाम जानने की क्षमता रखती है तथा इससे निष्कर्ष में शुद्धता रहती है एवं इससे प्राप्त परिणाम में विश्वसनीयता अधिक रहती है। इससे अधिक सुविधायुक्त भी रहती है।

न्यादर्श की कुछ प्रमुख व महत्वपूर्ण विधियाँ है। इन विधियों को इनके गुणों के आधार पर दो भागों में बाँट सकते है :–

1. सम्भाव्य न्यादर्श :–

जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित करके यह संभावना करते हैकि चयन की सीमा की गयी। न्यादर्श की इकाईयों में जनसंख्या के सभी गुण एवं विशेषताएँ विद्यमान हो। सम्भाव्य न्यादर्श में चयन संयोग में निर्भर रहता है। किसी भी इकाई विशेष को व्यक्ति अपनी इच्छा से न्यादर्श में सम्मिलित नही कर सकता है। जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चयन की सम्भावना समान होती है जिसके कारण न्यादर्श में पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। सम्भावना न्यादर्श को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है :–

1. यादृच्छिकी न्यादर्श या कमिक न्यादर्श
2. साधारण या अनियमित न्यादर्श
3. वर्गबद्ध न्यादर्श या स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्श
4. बहुस्तरी न्यादर्श
5. बहुरूपी न्यादर्श
6. समूह न्यादर्श

2. असम्भाव्य न्यादर्श :–

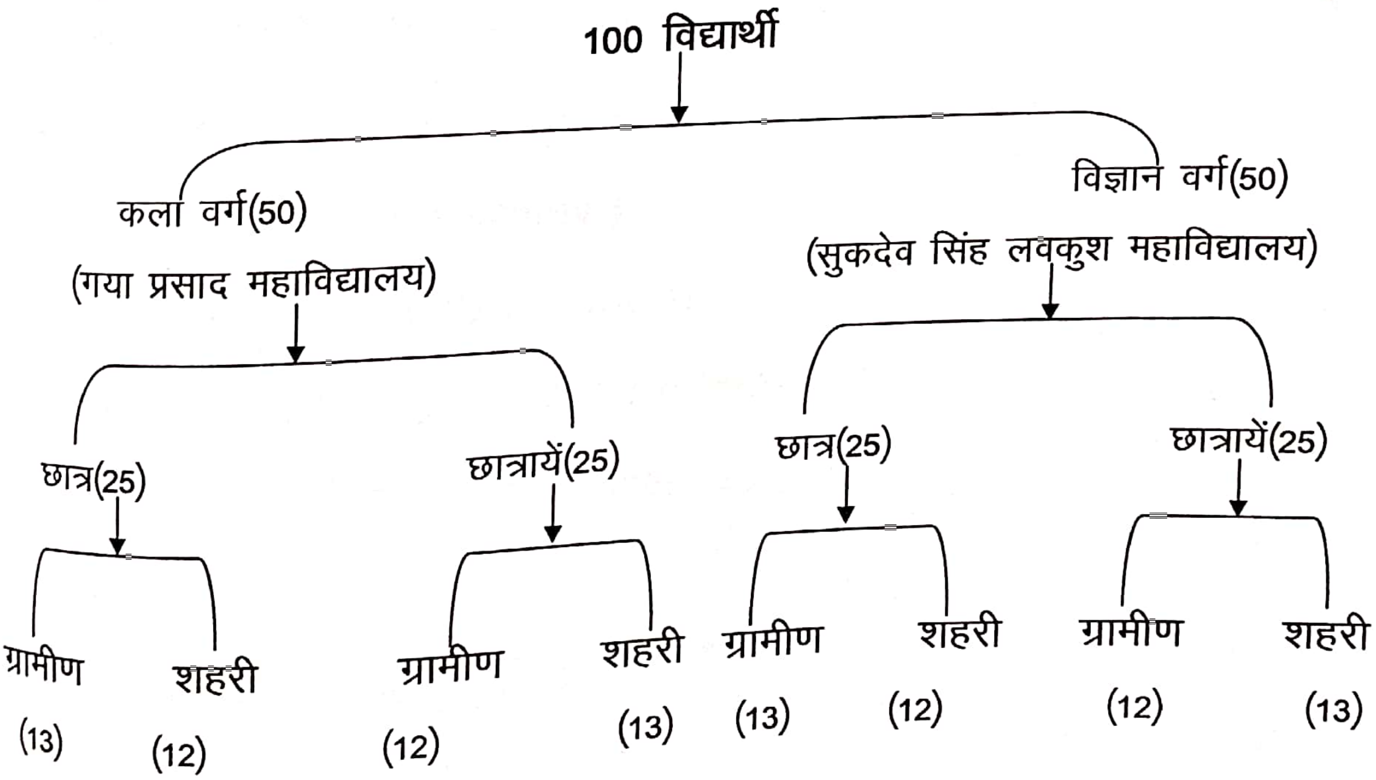
जब न्यादर्श के चयन में संभावना का कोई स्थान नही होता है तब उसे असामान्य न्यादर्श कहते है। इसमें न्यादर्श एवं जनसंख्या एक ही होते है। स्थानीय शोध कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यीकरण नही किया जाता है।

असंभाव्यता न्यादर्श के निम्न प्रकार है :–

1. आकस्मिक न्यादर्श
2. सोद्देश्य न्यादर्श
3. सम्पूर्ण न्यादर्श
4. निर्णीत न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता में बाँदा जिले के दो महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के 100 विद्यार्थियों का चयन स्तरीकृत प्रतिदर्श प्रतिचयन विधि द्वारा किया है जिसका विवरण निम्नवत् है :–



3.5 अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण एवं तकनीक :–

किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शोध से सम्बन्धित क्षेंत्र से चुने समंक या न्यादर्श के माध्यम से जिन साधनों या प्रविधियों का उपयोग करते हुए आधार सामाग्री का समंक एकत्र किये जाते है उन्हे शोध उपकरण कहते है।

शिक्षा अनुसंधान के अन्तर्गत विविध प्रकार की तापन प्रतिधियों को प्रयुक्त किया जाता है। मापविधि प्रदत्तों के संकलन का स्रोत होता है यह शोध क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है।

शिक्षा अनुसंधान में निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है :–

1. प्रश्नावली (Questionair)
2. अनुसूची (Schedule)
3. चिन्हांकन मापनी (Cheak list)
4. निर्धारण मापनी (Rating Scale)
5. अभिवृत्ति मापनी (Attitude Scale)
6. साक्षात्कार (Interview)
7. अवलोकन (Observation)
8. समाजमिति विधि (Sociometric Method)
9. मनोविज्ञानिक परीक्षण(Psycological Test)

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :–

प्रस्तुत शोध उपकरण में शोधकर्ता ने स्वनिर्मित "मानवाधिकार जागरूकता मापनी" को शोध उपकरण के रूप में प्रयोग किया है :–

मापनी विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दिये गये कथनों की तालिका है। इससे प्रमापीकृत परिणाम प्राप्त होते है जिसका सारणीयन किया जा सकता है तथा सांख्यिकीय ही सम्भव होता है।

मूलरूप में प्रश्नावली उत्तेजनाओं का समूह है जिनके प्रति शिक्षित व्यक्तिों को दिखाया जाता है जिससे इन उत्तेजनाओं के प्रति उनके मौखिक व्यवहार का निरीक्षण किया जा सके।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक उद्‌देश्यपूर्ण सुनियोजित तलिका है जो उत्तर प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती है तथा उससे प्राप्त उत्तरों का व्यवस्थापन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण संभव है।

शोधकर्ता ने प्रस्तुत विषय के शोधकार्य के लिए स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया है।

शोधकर्ता को प्रस्तुत विषय के आँकड़ों को एकत्र करने के लिए कोई प्रमाणित उपकरण उपलब्ध न होने के कारण मापनी का निर्माण स्वंय किया है। हमारे अध्ययन का उद्‌देश्य "मानवाधिकारों के प्रति स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन करना है।" इस उद्‌देश्य को ध्यान में रखकर मापनी का निर्माण किया गया है मापनी निर्माण में कथनों को अन्तिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली तथा अस्पष्ट एवं असंगत कथनों को मापनी में सम्मिलित नही किया गया है। प्रस्तुत शोध में "मानवाधिकार के प्रति जागरूकता" मापनी का प्रयोग किया गया है।

3.6 मापनी का निर्माण :–

(1) पदों का निर्माण एवं एकत्रीकरण :–

शोध कर्ता ने अनुसंधान के विषय अनुरूप तथा उद्‌देश्यानुसार स्वंय कुछ प्रश्नों का निर्माण किया। उनके एकत्रीकरण के लिए शोधकर्ता ने विभिन्न लेखकों की पुस्तकों एव्र पत्रिकाओं तथा सरकारी स्रोंतों का अध्ययन किया।

उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता जानने के लिए शोधकर्ता ने 100 प्रश्नों को एकत्र किया।

(2) कथनों का चयन :–

प्रारम्भ में शोधकर्ता ने शोधकर्ता ने 100 कथनों की एक मापनी तैयार किया। इस परीक्षण को संशोधन की दृष्टि से विद्वानों एवं परामर्शदाताओं के सम्मुख पेश किया गया। विचार विमर्श के पश्चात् मापनी में 25 कथनों को हटा दिया गया तथा 5 नयें कथनों को सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार परीक्षण में 80 कथनों को सम्मिलित किया गया । इस प्रकार परीक्षण में 80 कथन रखे गये।

(3) प्रारम्भिक जाँच :–

मापनी के प्रारम्भिक जाँच में उन 80 पदों का बारीकी से अध्ययन किया गया और उसकों कुछ विद्यार्थियों के समूह में प्रकाशित किया गया। प्रशासन के पश्चात् उनमें से 10 ऐसे कथनों को हटा दिया गया जो कि प्रयोज्यों की बौद्धिक स्तर, भाषा उवं प्रशासन में अत्यन्त कठिन अथवा अत्यन्त सरल थे। इस प्रकार परीक्षण में 70 कथन रखे गये है।

(4) मापनी का प्रशासन :–

मुद्रित जागरूकता मापनी शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से छात्र एवं छात्राओं से इस जागरूकता मापनी को पूरा करने में अपनी सहमत (हाँ) असहमत (नही) अनिश्चित (?) पूर्ण सहमत, पूर्ण असहमत दर्शाने की प्रार्थना की । यद्यपि सभी निर्देश मापनी में मौजूद है फिर भी उन्हें आवश्यक मौखिक निर्देश भी दिये गये, इस प्रकार छात्र–छात्राओं ने इस मापनी को भरने में व्यक्तिगत रूप से 50 मिनट का समय लिया गया।

(5) अंकीकरण विधि :–

मापनी में प्रत्येक कथन कें लिए बहुविकल्प दिये गये है जिसमें उत्तरदाता को इनमें से किसी एक पर सही का चिन्ह (✓) लगाकर प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। धनात्मक कथनों के लिए 5 से 1 तथा नकरात्मक अंको के लिए 1 से 5 अंक प्रदान किये गये।

3.7 प्रदत्तों का संकलन :–

शोधकार्य के लिए प्रदत्तों का संकलन शोध के उपकरणों की सहायता से न्यादर्श के सदस्यों पर करके किया जाता है। शोध उपकरणों के द्वारा विविध प्रकार के प्रदतों का संकलन किया जाता है।

प्रस्तुत लघु शोध में आँकड़ों का संकलन मापनी बनाकर किया गया है। आँकड़ों के संकलन के लिए शोधकर्ता ने बाँदा जिले के महाविद्यालयों सुकदेव सिंह लवकुश महाविद्यालय बबेरू तथा गया प्रसाद महाविद्यालय भभुवा के स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं से स्वंय व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया। इसके बाद आँकड़ों को एकत्र कर अंकीकरण किया एवं प्रदत्तों को एकत्रित किया। इस प्रकार अनुसंधान में प्रपत्र के प्रशासन का कार्य सम्पन्न किया।

3.8 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ :–

एकत्रित आँकड़ों की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित सांख्यिकी विधियाँ का प्रयोग किया गया है :–

1. **मध्यमान** :– माध्यमान से तात्पर्य प्राप्तांको को अंक गणितीय औसत होता है। गणना के किए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है :–

$$M = AM + \frac{\Sigma fd}{N} X\, i$$

यहाँ

AM = कल्पित माध्य के वर्ग अन्तराल का मध्यांक,

F = छात्रों की आवृत्ति

Σfd = कल्पित माध्य

N = छात्रों की संख्या

i = वर्ग अन्तराल

2. मानक विचलन :–

सभी प्राप्तांको के उनके मध्यमान से लिये गये विचलनो के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहतें है। इसकी गणना के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd_1^2}{N} - (\frac{\sum fd_2}{N})^{2\,X\,i}}$$

यहाँ

SD = मानक विचलन

f = विभिन्न वर्गो की आवृत्ति

d = विभिन्न वर्गो का कल्पिम माध्य से विचलन

i = वर्ग अन्तराल

N = संख्या

3. :– क्रान्तिक अनुपात

क्रासन्तिक अनुपात के लिये "टी" परीक्षण किया गया है। जिसकी गणना में निम्न पदों का अनुसरण किया जाता है।

(1) मध्यमानों का अन्तर MD = $M_1 - M_2$

(2) मध्यमानों का अन्तर मानक त्रुटि = $\frac{\sigma_1^2}{N_1} - \frac{\sigma_1^2}{N_2}$

(3) मुक्तांश ज्ञात करना df = $N_1 + N_2$ -2

(4) "टी" के सारिणी मान की सहायता से परिगणित "टी" के मान की सार्थकता ज्ञात करना

C.R = M_1-$M_{2/SEd}$

T या C.R = क्रान्तिक अनुपात

D = अन्तर की मानक त्रुटि

σ_1 = प्रथम समूह का प्रमाणिक विचलन

σ_2 = द्वितीय समूह का मानक विचलन

N_1 = प्रथम समूह की इकाईयाँ

N_2 = द्वितीय समूह की इकाईयाँ

M_1 = प्रथम समूह का माध्य

M_2 = द्वितीय समूह का माध्य

विश्वसनीयता :—

एनैस्टेसी एनै के अनुसार :— परीक्षण की विश्वसनीयता से अभिप्राय भिन्न—भिन्न अवसरों पर या समतुल्य पदो के भिन्न—भिन्न विन्यासों पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंको की संहति से है। प्रस्तुत लघु शोध में शोधकर्ता ने विश्वसनीयता की अर्द्धविच्छेद विधि का प्रयोग किया है व पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना के लिये स्पीयर मैन—ब्राउन सूत्र का प्रयोग किया है।

पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता $= \frac{2r}{1+r}$

$r = .72$

इसलिये पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता $= \frac{2 \times .72}{1+.72}$

$= .84$

वैधता :–

गुलिकसन के अनुसार :– "वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सह सम्बन्ध है।"

प्रस्तुत परीक्षण रूप वैधता से सम्बन्धित है। क्यांकि ऊपरी तौर परं इस व्यवहार का मापन करने वाला प्रतीत होता है। जिसके मापन के लिये इसका निर्माण किया गया है।

चतुर्थ अध्याय

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 4.1

छात्र एवं छात्राओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अंतर अंक

M = मध्यमान

SD= मानक विचलन

MD= दोनों वर्गो के मध्यमानों का अंतर

t = दोंनों मध्यमानों के अंतर की सार्थकता

d = दोनों मध्यमानों के अंतर की मानक त्रुटि

S.No	Sample	N	M	MD	D	t	सार्थकता स्तर
1.	छात्र	50	46.5	1.10	3.37	.33	कोई सार्थक अंतर नही है
2.	छात्राएँ	50	45.4				

t at 5% level = 1.98

at 1% level = 2.63

व्याख्या – सारणी से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के छात्रों का मध्यमान छात्राओं के मध्यमान की अपेक्षा कुछ अधिक है अतः छात्राओं की अपेक्षा छात्र मानवाधिकार के प्रति अधिक जागरूक है।

मानक 'टी' तालिका में मुक्तांश (df)= 98 पर रखने पर t का मान 5% स्तर पर 1.98 तथा 1% स्तर पर 2.63 है तथा प्रदत्तों के आधार पर 'टी' अनुपात का परिगणित मान 0.33 है जो दोनों मानों से काफी कम है। अतः छात्र–छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नही है क्योंकि यदि परिभाषित 'टी' का मान सारणी के 'टी' मान से कम है तो सार्थक अंतर नही माना जायगा। अतः शोधकर्ता द्वारा पूर्व 'प्रकल्पित शून्य परिकल्पना "स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नही है" स्वीकृत हुयीं।

सारणी 4.2

विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग के छात्र–छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अंतर अंक :–

S.No	Sample	N	M	MD	D	t	सार्थकता स्तर
1.	विज्ञान वर्ग के छात्र/छात्राएँ	50	46.09	.59	3.39	.17	कोई सार्थक अतर नही है।
2.	कला वर्ग के छात्र / छात्राएँ	50	45.50				

t at 5% level = 1.98

at 1% level = 2.63

व्याख्या :– सारणी से स्पष्ट है कि विज्ञान वर्ग के छात्र/छात्राओं का मध्यमान कला वर्ग के छात्र/छात्राओं के मध्यमान की अपेक्षा कुछ अधिक है अतः विज्ञान वर्ग के छात्र/छात्राएँ मानवाधिकारों के सम्बन्ध में कुछ अधिक जागरूक है।

मानक 'टी' तालिका में मुक्तांश (df) = 98 रखने पर 'टी' का मान 5% स्तर पर 1.98 तथा 1% स्तर पर 2.63 है तथा प्रदत्तों के आधार पर 'टी' अनुपात का परिगणित मान 0.17 है जो दोनों मानों से काफी कम है। अतः विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के छात्र/छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नही है। अतः शोधकर्ता द्वारा पुर्व प्रकल्पित की गयी शून्य परिकल्पना "विज्ञान वर्ग तथा कला वर्ग के छात्र/छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में सार्थक अंतर नही है" स्वीकृत हुई।

सारणी 4.3

शहरी और ग्रामीण छात्र/छात्राओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अंतर अंक :—

S.No	Sample	N	M	MD	D	t	सार्थकता स्तर
1	शहरी छात्र छात्राऐं	50	45.86	1.11	3.63	0.30	कोई सार्थक अन्तर नही हैं।
2	ग्रामीण छात्र छात्राऐं	50	44.75				

t at 5% level =1.98

at 1% level = 2.63

व्याख्या :— सारणी से स्पष्ट है कि शहरी छात्र/छात्राओं का मध्यमान ग्रामीण छात्र/छात्राओं के मध्यमान से कुछ अधिक जागरूक है । अतः शहरी छात्र/छात्राएँ मानवाधिकारों के सम्बन्ध में कुछ अधिक जागरूक है।

मानक 'टी' तालिका में मुक्तांश (df) = 98 पर रखने पर t का मान 5% स्तर पर 1.98 तथा 1% स्तर पर 2.63 है तथा प्रदत्तों के आधार पर टी अनुपात का परिगणित मान 0.30 है जो दोनों मानों से काफी कम है। अतः शहरी और ग्रामीण छात्र/छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक नही है। अतः शोधकर्ता द्वारा पूर्व प्रकल्पित परिकल्पना "शहरी एवं ग्रामीण छात्र/छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नही है" स्वीकृत हुयी।

पंचम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय—पंचम

शोध का निष्कर्ष

5.1 निष्कर्ष :—

सर्वेक्षण द्वारा शोधकर्ता को जो आकड़े प्राप्त हुए है उनके विश्लेषण के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए :—

1. स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं की अपेक्षा मानवाधिकारों के प्रति कुछ अधिक जागरूक है पर उनकी जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नही हैं।

2. विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता कला वर्ग के विद्यार्थियों से कुछ अधिक है, पर दोनों में कोई सार्थक अंतर नही है।

3 शहरी छात्र/छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर ग्रामीण छात्र/छात्राओं की अपेक्षा कुछ अधिक है, पर दोनों में कोई सार्थक अंतर नही है।

5.2 शैक्षिक निहितार्थ :—

प्रस्तुत शोध के अध्ययन का शीर्षक था "स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन"। अनुसंधान कर्ता को प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध के अध्ययन तथा सर्वेक्षण के उपरान्त जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसमें पता चलता है कि हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति बहुत कम जागरूक है। हमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के रूप में अनेक अधिकार प्राप्त है तथा उसके साथ कुछ कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व भी सौंपा गया है किन्तु जागरूकता की कमी के कारण न तो हम अपने प्राप्त अधिकारों का सदुपयोग करते है और न ही उन कर्तव्यों का पालन करते है जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। मानवाधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण प्रतिदिन मानवाधिकार हनन की घटनाएं सामने आती है। मानवाधिकारों के हनन के रूप में सर्वाधिक मामले राज्य तंत्र के पुलिस प्रशासन द्वारा किये जाते है तथा सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन महिलाओं एवं बालिकाओं

का होता है। अतः हम कह सकते है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस देश का क्या भविष्य होगा।

मानव को प्राप्त अधिकारों के हनन का जिम्मेदार स्वंय मानव है इसका मुख्य कारण अशिक्षा, अज्ञानता अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होना तथा अपने अधिकारों का हनन होते हुए मूकदर्शक के रूप में देखना।

आज आवश्यकता है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। शिक्षा के हर स्तर पर मानवाधिकार को विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक स्तर से ही बालकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए जिससे के स्तर की कक्षाओं तक पहुँचते–पहुँचते इस क्षेत्र में पूरी तरह जागरूक हो सकेगा। जब हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगें तो सबसे पहले हम दूसरों के अधिकारों का हनन नही करेगें तथा यदि हमारें अधिकारों का हनन होता है तो हम संरक्षण प्राप्त कर सकते है। इसके लिए मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय तथा उनके संस्थाएँ स्थापित की गयी है। जहाँ हम जाकर अपने अधिकारों के विषय में संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

अतः शोध कर्ता को इस शोध कार्य के दौरान अनेक पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं के अध्ययन से मानवाधिकारों के विषय में अनेक जानकारिया प्राप्त हुई तथा सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि छात्र–छात्राएँ मानवाधिकार के विषय में बहुत कम जानकारी रखते है तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है।

5.3 भावी शोध हेतु सुझाव :–

मनवाधिकार का विषय मानव से सम्बन्धित होने के कारण सभी स्तर पर मानव को इसके विषय में जागरूक करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक कर ही उसके अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। मानवाधिकार का विषय व्यक्ति के जन्म लेकर मृत्यु पर्यन्त तक सम्बन्धित होने के कारण इस विषय पर हर स्तर

पर शोध किया जा सकता है। भविष्य में निम्नलिखित विषय शोध के रूप में लिए जा सकते है :—

1. माध्यमिक स्तर पर छात्र—छात्रओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. इण्टर स्तर छात्र—छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. सामान्य वर्ग तथा अन्य वर्ग के छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. माध्यमिक स्तर पर पुरूष व महिला शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

5. ग्रामीण तथा शहरी छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

संदर्भ सूची

क्र0सं0	लेखक	पुस्तक
1.	अस्थाना, विपिन	मनोविज्ञान शिक्षा में मापन एवं मूल्याकन वि0प्र0म0 आगरा 1993
2.	अग्रवाल राम नारायण	मनोविज्ञान व शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन वि0प्र0म0 आगरा 1993
3.	गैरेट, एच0ई0	शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग कल्याणी प्रकाशन, राजेन्द्र नगर लुधियाना 1995
4.	कपिल एच0के0	संख्यिकी के मूल तत्व वि0प्र0म0 आगरा 2006
5.	पाण्डेय राम शकल एवं मिश्र करूणा शंकर	मानवाधिकार और मूल्य शिक्षण
6.	पाण्डेय राम शकल	उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक सा0प्र0 आगरा
7.	पाण्डेंय जे0एन0	भारत का संविधान
8.	पाठक अरूण कुमार	मानवाधिकार
9.	श्रीवास्तव डी0एन0	संख्यिकी एवं मापन वि0प्र0म0 आगरा 2006
10.	राय कैलाश	अन्तर्राष्ट्रीय विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली
11.	कश्यप सुभाष	हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1995
12	मुखर्जी रवीन्द्रनाथ	समाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान रंजन प्रकाशन नई दिल्ली 1985

परिशिष्ट

परिशिष्ट

मानवाधिकार जागरूकता मापनी

शोध निर्देशक

डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि

विभागाध्यक्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

शोधकर्ता

दीपक कुमार गुप्ता

एम0एड0 छात्र

नाम...

विद्यालय का नाम...................................

शिक्षा...

क्षेत्र– शहर ( ) ग्रामीण ( )

निर्देश :–

इस प्रपत्र में ''स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन'' से सम्बन्धित कुछ विचार प्रस्तुत किये गये है। प्रत्येक उत्तर में पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्ण असहमत **पाँच** विकल्प दिये गये है। आपके स्वंय कें विचार में जो उचित हो उसके सामने बने खानों में सही (✓) लगाकर अपना विचार प्रस्तुत करें।

प्रत्येक कथन का उत्तर देना आवश्यक है।

आपके उत्तर केवल शोध हेतु उपयोग किये जाए।

आपके उत्तर को गोपनीय रखा जाएगा।

वर्ग	1	2	3	4	5	कुल
प्राप्तांक						
विवेचन						

मापनी

क्रम सं0	कथन	पूर्ण सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्ण असहमत
1–	देश के नागरिको को संविधान में वर्णित मानवाधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिये।					
2–	प्रत्येक नागरिक को अपने मानवाधिकारों का उपयोग करना चाहिये।					
3–	अधिनायकवाद का विरोध करना चाहिये।					
4–	प्रत्येक नागरिक को कानून का पालन करना चाहिये					
5–	संविधान में वर्णित मानवाधिकारो से संतुष्ट हैं।					
6–	अनेक राज्यों में मिलकर बने भारत जैसे देश में रोजगार का अधिकार पूर्ण उन्नत होना चाहिये।					
7–	ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी को मानवाधिकार की जानकारी होनी चाहिये।					
8–	स्त्रियों व बच्चों के मानवाधिकारो के उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है।					
9–	नैतिक स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को अपने विवेक से बिना लोभ के कार्य करना चाहिये।					

10–	प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व और समाज के विकास में सहयोग करना चाहिये					
11–	भारतीय संविधान के 17 वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित किये से क्या आप सहमत है।					
12	प्रत्येक नागरिक को अपने मतदान देने के अधिकार का उपयोग करना चाहिये।					
13	अपने आस–पास घटित हो रहे मानवाधिकारो के हनन के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरुक रहना चाहिये।					
14–	मानवाधिकारो की रक्षा के प्रति प्रयासरत रहना चाहिये।					
15–	निराश्रितों, कैदियें तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के मानवाधिकारों हनन के प्रति संवेदनशील होना चाहिये					
16–	मानवाधिकार आयोग की पूर्ण जानकारी रखना आवश्यक है।					
17–	ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध रहनी चाहिये।					
18–	घरेलू हिंसा का विरोध होना चाहिये ।					
19–	पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वो का निर्वाह किया जाना आवश्यक है ।					
20–	प्राकृतिक साधनों के अमर्यादित दोहन का विरोध किया जाना चाहिये।					

21–	शिक्षको के द्वारा बच्चों को अनावश्यक दण्ड का विरोध किया जाना चाहिये।					
22–	दूसरों की मदद भातृत्व भावना से करना चाहिये।					
23–	अनुसूचित एवं जनजाति के प्रति हो रहे भेदभाव को अनुचित है।					
24–	वंश–वर्ण, जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभव का खण्डन होना चाहिये।					
25–	बन्धुवा मजदूरी का विरोध होना चाहिये।					
26–	प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये गये अमानवीय व्यवहार का विरोध करना चाहिये।					
27–	भाषा की स्वतंत्रता होना चाहिये।					
28–	दुकानदारों द्वारा हो रहे सामग्रियों में हो रही मिलावट दण्डनीय अपराध है।					
29–	कारखानों एवं फैक्ट्रियों आदि में कम उम्र के से मजदूरी कराना अनुचित है।					
30–	विधवा विवाह का समर्थन करना चाहियें					
31–	दहेज प्रथा अनुचित हैं।					
32–	बालश्रम अनुचित है।					

3–	संविधान में वर्णित समता के अधिकारो की उचित जानकारी आवश्यक है।					
34–	किसी व्यक्ति के निजता के हनन का विरोध चाहियें।					
35–	किसी व्यक्ति के सम्मान और ख्याति का प्रहार किये जाने का विरोध होना चाहिये।					
36–	कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में हो रहे रैंगिंग का विरोध होना चाहिये।					
37–	हस्तक्षेप या प्रहार के विरुद्ध विधि के संरक्षण का उपयोग किया जाना चाहिये।					
38–	नागरिको के उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण माँगने का अधिकार है।					
39–	वयस्क स्त्रियों या पुरुषों को मूल वंश एवं धर्म की सीमा के बिना विवाह करने के अधिकार का समर्थन करना चाहिये।					
40–	प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने और बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार होना चाहिये।					
41–	व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिये।					
42–	प्रत्येक व्यक्ति को विचार अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करना चाहिये।					

43-	शान्तिपूर्वक सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता की प्रत्येक नागरिक को जानकारी रखनी चाहिये ।					
44-	प्रत्येक व्यक्ति को अपने अवकाश का सदुपयोग करना चाहिये।					
45-	प्रत्येक व्यक्ति को उचित जीवन का अधिकार					
46-	मातृत्व और बाल्यकाल में विशेष देखभाल और सहायता करनी चाहिये।					
47-	प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है					
48-	ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता हैं। इसका विरोध करना चाहिये।					
49-	वैज्ञानिक प्रगति और उनके फायदों में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारों का उपयोग होना चाहिये।					
50-	प्रत्येक माता–पिता को यह चयन करने पूर्णाधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार शिक्षा दी जायेगी।					
51-	अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना चाहिये					
52-	सर्व शिक्षा अभियान का समर्थन करना चाहिये					

53–	संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने का विरोध करना चाहिये।					
54–	विज्ञापनों से स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिये।					
55–	सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित जानकारी चाहिये।					
56–	विचारों की स्वतंत्रता का समर्थन होना चाहिये।					
57–	प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की समुचित जानकारी रखनी चाहिये।					
58–	अल्पसंख्यक वर्गो के हितो का संरक्षण होना चाहिये					
59–	धार्मिक कार्यों के उचित प्रबन्ध की आवश्यकता होना चाहिये।					
60–	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय की स्वतंत्रता होनी चाहिये।					
61–	अशिक्षित ग्रामीण व्यक्तियों को भ्रमित कर वोट लेने वाले गलत प्रतिनिधियों का विरोध होना चाहिये।					
62–	सभी को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये।					

3- सभी को बेकारी, बुढ़ापा, बिमारी, और अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिये।					
4- कृषि एवं पशुपालन प्रणाली से संगठित करने का समर्थन करना चाहिये।					
5- सभी को मद्य एवं मादक पेयों के औषधीय प्रयोजना सें से भिन्न उपयोग का कठोर विरोध करना चाहिये।					
6- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45वें के अनुसार उपयोगी पशुओं का वध का प्रतिषेध किया गया है। सभी इसकर पालन करतें है।					
7- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21वें में क्रूरता और अव्यवहोरिक दण्ड के विरुद्ध अधिकार है					
8- संविधान के अनुच्छेद–20 के अनुसार प्राण स्वतंत्रता और दैहिक संरक्षा का अधिकार है। नागरिको को इसका ज्ञान है।					
69- संविधान के अुनच्छेद–21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दास का गुलाम नही रखा जायेगा। सभी प्रकार की दासता और व्यापार प्रतिसिद्ध होगा। इसका ज्ञान सभी नागरिको है।					
70- व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में समाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए।					